


कार्यालय आदेश सं... 46/17

श्रीमती सुदामा देवी, पुत्री स्व. खेलावन/आदेशपाल/मरेप्र(याँ)/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वाराणसी के पत्रांक 16/मेड/174/1/सुदामा देवी दिनांक 26.12.2016 के द्वारा रेल सेवा के सभी श्रेणीयो मे अयोग्य घोषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र के अनुपालन मे श्रीमती सुदामा देवी को दिनांक 26.12.2016 से रेल सेवा के सभी श्रेणीयो मे अयोग्य घोषित होने के फलस्वरुप रेल सेवा से सेवा निवृत किया जाता है।
उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)
वाराणसी
दिनांक 02.05.17

- सं का/या/पीसी/श्रीमती सुदामा देवी
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. वमयाई/ (समाडि)
 2. वमविप्र/वारा.
 3. मु. कार्याधि/समापक अनुभाग
 4. मु. कार्याधि/याँत्रिक बिल
 5. मु. कार्याधि एम. पी. पी सेल
 6. सम्बंधित बिट निरीक्षक
 7. कार्यालय आदेश प्रति
 8. सम्बंधित कर्मचारी
 9. मंडल मंत्री नरमू/अजा/अजजा/ओ. बी. सी./वारा
 10. अन्य प्रति


कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)
वाराणसी